(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2752–तीन/2015, विरूद्ध आदेश दिनांक 30–07–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, नरवर जिला शिवपुरी प्रकरण कमांक 23/अ–70/2014–2015

.....

1– हनुमतसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह
2– चन्दनसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह
3– बृजमोहनसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह
4– साहबसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह
निवासीगण ग्राम नरौआ, तहसील नरवर,
जिला शिवपुरी

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– धनजी पिता अमरसिंह
2– बनेसिंह पिता अमरसिंह
3– अवन्ताबाई पति हटेसिंह
निवासीगण ग्राम नरौआ, तहसील नरवर,
जिला शिवपुरी

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26 अगस्त 2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, नरवर जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनावेदकगण द्वारा जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि आवेदक ने उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया है। इस पर कलेक्टर की ओर से जांच हेतु प्रकरण तहसीलदार को भेजा गया। तहसीलदार ने जांच किये बगैर ही आवेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय

कार्यवाही करते हुये विधिवत सीमांकन किये बिना ही आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया। आवेदकगण द्वारा पुनः जांच हेतु दिये गये आवेदन को तहसीलदार द्वारा निरस्त कर दी और बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ कर दी। अतः निगरानी स्वीकार की जाए एवं आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत धारा 52 का आवेदन स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का कियान्वयन प्रकरण के निराकरण तक स्थगित रखा जाये।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। जिससे प्रकट होता है कि अनावेदकगण ने जनसुनवाई में कलेक्टर से आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार ने जांच कार्यवाही प्रारंभ की जिसपर आवेदकगण को नोटिस जारी हुआ जिसपर अनुपस्थित होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बाद में आवेदक प्रकरण में उपस्थित हुआ, उनके द्वारा शपथपत्र भी प्रस्तुत किया तत्पश्चात दिनांक 27–7–15 को पुनः आवेदकगण उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 30–7–15 की आदेश पत्रिका में पुनः आवेदकगण प्रकरण में उपस्थित हुये और उनकी ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं जांच की मांग की। तहसीलदार ने स्थल की मौका जांच करने के लिए पटवारी को पत्र जारी किया है। इस प्रकार तहसीलदार के आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। अतः आवेदक को इस निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्याायलय में निर्धारित तिथि को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे एवं तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि मौका जांच उपरांत उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का गुण–दोषों पर निराकरण करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर